

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/19/9417

दिनांक: 26-10-2021

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री राजेश मित्तल पुत्र श्री लक्ष्मण-प्रसाद मित्तल अधिवक्ता, (एनरोलमेंट संख्या-आर/818/1994) निवासी भरतपुर को नगर पालिका कुम्हेर के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित समस्त न्यायिक प्रकरणों की पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर पालिका कुम्हेर जिला भरतपुर से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/19/9418-9426 दिनांक: 26-10-2021
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिसाषी अधिकारी नगर पालिका कुम्हेर जिला भरतपुर।
06. श्री राजेश मित्तल, अधिवक्ता, मार्फत नगर पालिका कुम्हेर जिला भरतपुर।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी